

30-03-17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त अनु०।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

थाना गोहद चौराहा से आरक्षक अनिल शर्मा द्वारा अभियुक्त राजेन्द्रसिंह पुत्र ठाकुरदास का गिरा वारंट उसके फौत हो जाने की टीप सहित मृत्यु प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेजों की थाना प्रभारी द्वारा सत्यापित प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार अभियुक्त की दिनांक 05.09.16 को मृत्यु हो चुकी है। एडीपीओ ने प्रस्तुत वारंट एवं उल्लेखित टीप के संबंध में थाना प्रभारी द्वारा सत्यापित होने से कोई संदेह का आधार न होना बताया है।

प्रकरण में अभियुक्त के मृत्यु हो जाने संबंधी तथ्य अभिलेख पर प्रस्तुत है उसके अतिरिक्त अन्य कोई अभियुक्त शेष नहीं हैं। अतः अभियुक्त को फौत घोषित किया जाता है। उसके विरुद्ध कार्यवाही उपशमित की जाती है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / —

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)